संख्या 729/उन्तीस(2)/08–2(101पे0)/2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पँवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 22अप्रैल, 2008

विषय :– वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत देहरादून नगर के अपर जोन पेयजल योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1904/उन्तीस(2)/07–2(101पे0)/2007 दिनांक 23.01.2008 के क्रम में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्यालय पत्र संख्या 109/वि0अनु0/02/अनुदान/2008–09 दिनांक 09.04.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत देहरादून नगर के अपर जोन पेयजल योजना हेतु रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1– उक्त धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

.....2

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

13– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–03–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.03.2008 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 729 /उन्तीस(2)/08–2(101पे0)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....3

6. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
9. सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव